अपील इंतकाल प्रकरण सं0 59/15

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

1. आकाश
2. विश्वास पिसरान श्री साहबराम जाति बिश्नोई (पूनियॉ) सकनाए गॉव धिगतानियॉ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. बुधवंती देवी पत्नी स्व0 श्री पूर्ण राम
2. अमरजीतसिंह पुत्र स्व0 श्री पूर्णराम
3. विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री पूर्णराम
4. निर्मलादेवी पुत्री स्व0 श्री पूर्णराम अकवाम बिश्नोई सकनाए गॉव धिगतानियॉ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 469 दिनांक 31–01–13 तहसीलदार, सादुलशहर

उपस्थित : 1 श्री विरेन्द्रकुमार सिहाग, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री जीतसिंह सैनी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 से 4
3.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5

आदेश **दिनांक : 012–1–2016**

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 15 के एस डी तहसील सादुलशहर के मु0 नं0 39 के कि0 नं0 1 ता 20 कुल 5.06 है0 कृषि भूमि पूर्णराम की खातेदारी थी। पूर्णराम अपीलांटस का हकीकी फूफा था। अपने जीवनकाल में अपनी भिन्न –2 जगह की कृषि भूमि के बाबत एक वसीयत दिनांक 17–5–11 को स्वेच्छा गवाहान के रूबरू की थी। यह वसीयत पूर्णराम की अंतिम वसीयत थी और अपनी कृषि भूमि की वसीयत करने में पूर्णराम कानूनन हर तरीके से सक्षम था। पूर्णराम का देहान्त दिनांक 7–6–11 को हो गया और अपीलाधीन भूमि का मालिक वसीयत के आधार पर अपीलांटस हो गये थे। अपीलाधीन भूमि अपीलांटस के कब्जा काश्त में है। पटवारी हल्का से अपीलांटस को जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलाधीन भूमि का इंतकाल मृतक पूर्णराम के वारिसान के नाम से जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 हैं के नाम कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को अनदेखा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड प्राप्त होने के उपरांत दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा अपीलांटस के अधिवक्ता की बहस का खण्डन नहीं किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन इंतकाल दर्ज करने में कानूनी त्रुटि नहीं की है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत है। अतः अपील खारिज की जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 469 दिनांक 31–1–13 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा पूर्णराम के देहान्त होने पर विरासतन स्वीकृत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 17–5–11 को लिखा गया है, जो मूल रूप से पंजाबी में लिखा हुआ है, जिसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पूर्णराम का देहान्त होने के बाद अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है जबकि पूर्णसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत दिनांक 17–5–11 को की हुई थी। अपीलांटस को बिना सुने व बिना साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अतः बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि हुई है। अतः ऐसी स्थिति में सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलाटंस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 469 दिनांक 31–01–13 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 17–5–11 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 8–2–16 को उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक 12–01–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)